General Election of Vidhan Sabha -2009
Most Immediate / Date Bound

No.4/75/2009-1Election
Government of Haryana
Chief Secretary Office
(Election Branch)

Dated Chandigarh, the 7th September, 2009.

To

1. All the Financial Commissioner and Principal Secretaries / All Administrative Secretaries to Government, Haryana.
2. All the Heads of Departments, Haryana.
3. All the Divisional Commissioners, Haryana.
4. All the Deputy Commissioners.

Subject: - General Election to the Vidhan Sabha - SEHYOG.

****

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose herewith a copy of letter No.Elec-2009/2AE-7254, dated 02.09.2009 received from the Chief Electoral Officer, Haryana for immediate and necessary action. It is requested that the instructions mentioned in the enclosed letter may be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,

(Naresh Kumar)
Superintendent Election.

Endst.No.4/75/2009-1Election — Dated Chandigarh, the 7th September, 2009.

A copy is forwarded to the Chief Electoral Officer, Haryana, Chandigarh with reference to his letter No. Elec-2009/2AE-7254, dated 02.09.2009 for information and necessary action.

(Naresh Kumar)
Superintendent Election.

CC: -

1 PS/CS
2 PS/PSCM
3. Director, NIC

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2009

तत्काल/तिथिबद्ध

क्रमांक निर्वाचन-2009/2एई - 7254

प्रेषक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हरियाणा ।

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ।
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग ।
4. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग ।
5. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा ।
6. राज्य के सभी मण्डल आयुक्त ।
7. राज्य में सभी उपायुक्त ।
8. राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।

दिनांक: चण्डीगढ़, - 2 सितम्बर, 2009.

विषय:- हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2009 - सहयोग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने के निर्देश हुए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार हरियाणा विधान सभा आम चुनाव 2009 के लिए इस राज्य में मतदान दिनांक 13.10.2009 को होना निश्चित हुआ है । यह एक बहुत तथा जटिल प्रक्रिया और समयबद्ध कार्य है ।

2. अत: यह आवश्यक है कि चुनाव सम्बन्धी विभिन्न स्टेजिज़ पर किए जाने वाले सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक व सुचारू रूप से निर्धारित समय में सम्पन्न किया जाए । चुनाव के प्रोग्राम में कुछ विषय कानूनी प्रावधानों पर आधारित हैं; जिनका निर्धारित समय के अन्दर पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त चुनाव सम्बन्धी विषय में किसी प्रकार की ढील, चुनाव कार्यक्रम को अस्त-व्यस्त कर देगी, जिसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं । ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए यह अति आवश्यक है कि हरियाणा राज्य के सभी विभागों द्वारा निर्वाचन विभाग को हर प्रकार से पूर्ण तथा तत्परता से सहयोग दिया जाए । अत: आपसे अनुरोध है कि चुनाव विभाग द्वारा आपको भेजे जाने वाले सभी पत्रों को प्राथमिकता दी जाए तथा जब भी इस विभाग की ओर से किसी प्रकार की सूचना, आपसे निर्धारित समय में मांगी जाए तो आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि वह सूचना हर मामले में, वांछित अवधि में चुनाव विभाग को अवश्यमेव पहुंच जाएं । इसके अतिरिक्त आप राज्य में अपने अधीन सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वह सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें । विभाग को पूर्ण विश्वास है कि चुनाव कार्य में जब कभी भी आपके व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होगी, तो उस समय भी आप अपना सहयोग देंगे और चुनाव कार्य में था सम्भव सहायता करेंगे ।

कृपया इस पत्र की पावती भेंजे ।

भवदीय,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक निर्वाचन-2009/2एई - 7255

दिनांक: -2-9-2009

इसकी एक प्रति राज्य में सभी निर्वाचन तहसीलदारों / निर्वाचन उप तहसीलदारों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ।

For Internal Distribution:
1. PS to CEO
2. PA to Addl. CEO
3. RKE (with 5 spare copies)

\\Vijay\d (d)\DEEPAK\AE2\VS\Cooperation from all deptts.doc